

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संसाधन पर व्यापार कृतिकार्य जीवाजी
विश्वविद्यालय ने इसमें अपने द
के निम्नों तात्पर्य का सम्बोधन करता है।
व्यापारिक विद्या एवं विद्युत ने व्या-
पारिक दुष्टों को पर बनाना एवं विद्युत
अपने दिक्षिण जीवे विद्युत करकी है।



ग्राह : दूरदृशीटी
दूरभास : (0751) 2342898
(0751) 2442229
फैक्ट्री : (0751) 2342768

प्रेषक :
दूरदृशीटी,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक/दाता/उम्भुता/2012/ 5735

दिनांक: 05/01/13

// चूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने ग्रन्थालय, कक्षा महाविद्यालय, मुख्य व्यालियर को सत्र 2012-13 के लिये
प्रस्तुति-समिति एवं संबंधित विद्यार्थी प्रवास वर्ष, छात्रा (कृष्णक) प्रवास वर्ष, एवं एम.ए. उत्तरार्थ (विश्वविद्यालय) एवं ली.
एम.-ली. (वायोडेक) एवं एन.एस.-ली. (वायोडेक), कक्षा-पाठ्यक्रमों-विद्यार्थी जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के
प्रतिनियम 27(1)(i) के अनुरूप विद्यार्थी समिति का गठन किया है।-

- (1) प्र. वाय.के. जैलगाल, आवार्य, जैव रसायन अण्वयनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (वायोडेक)
(0751-2442841)
- (2) डॉ. जगा जैन, आवार्य, शासकीय फौजार्यांनी कॉर्नेल, ग्वालियर।
- (3) डॉ. श्रीमती एस. गङ्गाकर, आवार्य, शा. कौ.आर.पी. कॉर्नेल, ग्वालियर।
- (4) डॉ. लैटिया सहस्रबुद्धे आवार्य शा. कौ.आर.पी. कॉर्नेल, ग्वालियर।

विदीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रतिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विदीक्षण कर द्युलक् घोषणा करें। विदीक्षण और विद्यार्थी विदीक्षण का संबंध तो प्राप्त अनुग्रहीत/अनापति प्रभाण-पत्र, ग्रन्थ, कॉटा विक्रेता एवं वायोडेक/आर्टिस्टिक ट्रॉफी की विद्युतिकारों का प्रभाण एवं बेतवा अवृद्धि के बारे में स्पष्ट विवरण अनुरूप सार्वजनिक करें।

समिति की वैष्णव विद्यालय 2012 के एवं क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये विद्यार्थी समिति द्वारा 30 दिन में लगाविद्यालय का विदीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कावालियर में विदीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। विद्युत कि उम्भूर्ध वायार्थी विदीक्षण की 45 दिवस में पूर्ण तो अकेली 15 वं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्त्वार्थी लग्नालता में विलम्ब नहीं होगा एवं यह समय लग्नालता संबंधी कार्यवाही पूर्ण तो उकेली तथा सालन के विवरणों का पालन द्युविधित दिया जा सकेगा।

विद्युत के 45 दिवस में Report प्राप्त कर होने की स्थिति ने यह जावा जाहेंगा कि ग्रन्थालय का विदीक्षण नहीं हुआ है। विद्यार्थी समिति अर्थात् अधिकारी जगा कावालियर लग्नालती लिखित की जावेगी। विद्युत 15 दिवस में विदीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अविवार्य तौर पर परिवेदन 27(1)(i) के अनुरूप सम्बन्धित ग्राप्त विवरण विवरण देना अविवार्यिक है।

विदीक्षण समिति के साथ सम्बन्धित शास्त्रों में कार्यालय अधिकारी / कार्यालय लग्नालता प्रतिवेदन लेकर जायेंगे तथा
ग्रन्थालय की विद्युतिकारी से विदीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विदीक्षण समिति के सदस्यों को वीए / वीए /
मालियर ग्रन्थालयकर्ता द्वारा दें तोगा।

3mm/15
कूलसाचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी द्वारा आवश्यक प्रत्यक्षवाही होती है।
2. प्रागार्थः अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विदीक्षण विवरण किया जायें। उका विदीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आव्युक्त उच्च लिपि, तात्पुरा भवन, भोपाल
4. कुलपती के सचिव / कूलसाचिव के निम्नी राधायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

R
सहायक कूलसाचिव (सम्बन्धित)